



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा—वर्ष 2015

परीक्षा कार्यक्रम

समय—प्रातः 08.30 से 11.45 तक

वार/दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार, 12 मार्च, 2015	अंग्रेजी अनिवार्य (02)
शुक्रवार, 13 मार्च, 2015	हिन्दी अनिवार्य (01)
शनिवार, 14 मार्च, 2015	कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस (04) / मल्टीमीडिया वेबटेक (05)
रविवार, 15 मार्च, 2015	रविवार अवकाश
सोमवार, 16 मार्च, 2015	लेखाशास्त्र(30) / राजनीति विज्ञान (11) / भूविज्ञान (43) / कृषि (84)
मंगलवार, 17 मार्च, 2015	समाज शास्त्र (29)
बुधवार, 18 मार्च, 2015	व्यवसाय अध्ययन (31) / भौतिक विज्ञान (40) / इतिहास (13)
गुरुवार, 19 मार्च, 2015	कठसंगीत (16) / वाद्य संगीत [(तबला) 63, (पखावज) 64, (सितार) 65, (सरोद) 66, (वाईलिन) 67, (दिलरुबा) 68, (बांसुरी) 69, गिटार 70]
शुक्रवार, 20 मार्च, 2015	लोक प्रशासन (06)
शनिवार, 21 मार्च, 2015	चेटीचण्ड अवकाश
रविवार, 22 मार्च, 2015	रविवार अवकाश
सोमवार, 23 मार्च, 2015	अंग्रेजी साहित्य (20)
मंगलवार, 24 मार्च, 2015	गणित (15) / टंकण लिपि (हिन्दी) (34) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावें।)
बुधवार, 25 मार्च, 2015	दर्शनशास्त्र (85)
गुरुवार, 26 मार्च, 2015	जीव विज्ञान (42), हिन्दी साहित्य (21), उर्दू साहित्य (22), सिन्धी साहित्य (23), गुजराती साहित्य (24), पंजाबी साहित्य (25), राजस्थानी साहित्य (26), फारसी (27), प्राकृत भाषा (28) / टंकण लिपि (अंग्रेजी) (35) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे।)
शुक्रवार, 27 मार्च, 2015	मनोविज्ञान (19)
शनिवार, 28 मार्च, 2015	रामनवमी अवकाश
रविवार, 29 मार्च, 2015	रविवार अवकाश
सोमवार, 30 मार्च, 2015	संस्कृत साहित्य (12)
मंगलवार, 31 मार्च, 2015	अर्थशास्त्र (10) / रसायन विज्ञान (41) / शीघ्र लिपि—हिन्दी / अंग्रेजी (32–33)
बुधवार, 01 अप्रैल, 2015	गृह विज्ञान (18)
गुरुवार, 02 अप्रैल, 2015	महावीर जयंती अवकाश
शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2015	गुड फ्राईडे अवकाश
शनिवार, 04 अप्रैल, 2015	चित्रकला (17)
रविवार, 05 अप्रैल, 2015	रविवार अवकाश
सोमवार, 06 अप्रैल, 2015	भूगोल (14)

नोट:-1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।

2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा / जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
5. भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इंस्ट्रुमेंट बॉक्स साथ लायेंगे।
6. परीक्षा कक्ष में केलव्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
7. टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे। विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हों तो उन्हें प्रत्येक चार छात्रों के लिये एक टंकण यन्त्र केन्द्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यन्त्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्थीकृति से चार के बजाय पाच परीक्षार्थियों के लिये एक टंकण यन्त्र भेज सकते हैं। स्वयंपाठी परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यन्त्र का प्रबन्ध करेंगे। परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक टंकण यन्त्र उपलब्ध न हो तो केन्द्राधीक्षक को चाहिये कि उपलब्ध टंकण यन्त्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हे किस समय परीक्षा केन्द्र पर आना है, इसकी सूचना दें देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिये जावेंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी। सम्बन्धित दल की परीक्षा प्रारम्भ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र पर बुलाया जावे।
8. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक / वीक्षक / उड्डनदर्ते के सदस्यों / निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति / मनाही / अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।
9. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
10. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
11. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुरितका के अन्त में “समाप्त” शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें।

सचिव